

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
वित्तीय सेवाएं विभाग  
राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3080

जिसका उत्तर 23मार्च, 2021/2 चैत्र, 1943 (शक) को दिया गया

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में कर्मचारियों की कमी

3080. श्रीराजीव सातव:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या विभिन्न पदों की भर्ती को रोक दिया गया है जिसके परिणामस्वरूप देश में विभिन्न पदों पर कर्मचारियों की कमी है और, यदि हां, तो तत्संबंधी बैंक-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) विभिन्न पदों पर अपनी भर्ती में आरक्षण नीति का अनुपालन करते हैं और यदि हां, तो गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न पदों पर नियुक्त अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों का ब्यौरा क्या है; और
- (ग) सरकार द्वारा नए कर्मचारियों की भर्ती करके कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ग): सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) ने सूचित किया है कि उन्होंने इंडियन ओवरसीज बैंक (आईओबी) जिसे भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई (पीसीए) के अंतर्गत रखा गया था, जिसके तहत उन्हें अन्य बातों के साथ-साथ, कर्मचारियों की संख्या को बढ़ाने से प्रतिबंधित किया गया था और बैंक में आगामी सूचना तक नए कर्मचारी की भर्ती नहीं करने के लिए कहा था, के मामले को छोड़कर नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक नहीं लगाई है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार यथा प्रयोज्य आरक्षण नीति का अनुपालन पीएसबी में किया जा रहा है और विगत तीन कैलेण्डर वर्ष में विभिन्न पदों पर एससी/एसटी/ओबीसी की रिक्तियों के प्रति बैंकों में की गई नियुक्तियों का ब्यौरा निम्नानुसार है:

पद	2018			2019			2020		
	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी	एससी	एसटी	ओबीसी
अधिकारी	6075	2552	6908	13183	5627	15844	6798	3036	9956
कर्मचारी	4158	1803	5219	5330	2981	7740	3353	1562	5397
अधीनस्थ कर्मचारी	828	315	984	1938	593	1730	575	82	542

\*\*\*\*\*

GOVERNMENT OF INDIA  
MINISTRY OF FINANCE  
DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

**RAJYA SABHA**  
**UNSTARRED QUESTION No. 3080**

TO BE ANSWERED ON 23<sup>rd</sup> MARCH, 2021(TUESDAY)/ CHAITRA 2, 1943 (Saka)

**Shortage of employees in PSBs**

3080. SHRI RAJEEV SATAV:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether recruitment of various posts has been stopped leading to shortage of employees in various posts in the country and, if so, the details thereof, bank-wise;

(b) whether Public Sector Banks (PSBs) follow reservation policy in their recruitment to various posts and, if so, the details of SC/ST/OBC appointed in various posts during each of the last three years; and

(c) the corrective steps taken by Government to remove the shortage of employees by recruiting new employees?

**ANSWER**

The Minister of State in the Ministry of Finance  
(Shri Anurag Singh Thakur)

(a) to (c): Public Sector Banks (PSBs) have informed that they have not stopped the recruitment process, except in case of Indian Overseas Bank (IOB), which was placed under Prompt Corrective Action (PCA) by Reserve Bank of India (RBI), under which, *inter-alia*, staff expansion was restricted and the bank was to not recruit new staff till further advice.

As per information provided by Public Sector Banks (PSBs), the reservation policy, as applicable, is being followed in PSBs and appointments in banks against SC/ST/OBC among various posts in last three calendar years is as follows:-

Posts	2018			2019			2020		
	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC	SC	ST	OBC
Officers	6075	2552	6908	13183	5627	15844	6798	3036	9956
Clerks	4158	1803	5219	5330	2981	7740	3353	1562	5397
Sub Staff	828	315	984	1938	593	1730	575	82	542

\*\*\*